— — कार्यवाही

न्यायालय उपखंड अधिकारी एंव उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 24 /2021
प्रकरण दायर दिनांक 19.02.2021
निर्णय दिनांक– 12.03.2022

मीना देवी पत्नी रामदयाल वगै0 बनाम मूलचन्द पुत्र भौरया वगै0

उनवान

1. मीना देवी पत्नी रामदयाल जाति मीना निवासी कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा :——वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र भौरया जाति मीना निवासी कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा।
2. तहसीलदार बसवा, जरिए लैण्डहोल्डर, बसवा।
3. उप पंजीयन अधिकारी, बसवा जिला दौसा। :——प्रतिवादी

"दावा तकारमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा"

"निर्णय दिनांक 12.03.2022"

वादिया के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा तकारमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय पेश किया है कि ग्राम कौलाना के खाता सं0 नया 242 पुराना कुल रकबा 0.10 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.10 है0 स्थित है। जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है, जिसे आगे भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया मे वादी का 1/2 हिस्सा जमाबंदी संवत 2076–79 में अंकित है। उक्त भूमि मुतदाविया को वादी ने पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्ट्री क्रय की है व उक्त रजिस्ट्री शुदा भूमि पर काबिज काश्त है। अब तक उक्त भूमि मुतदाविया का विधिवत तकारमा नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी को आये दिन एलनियां धमकी देते है कि तुम्हारे हिस्से की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रहूँगा। जब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का कब्जे आधार से तकारमा कराने की कही तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गये। अतः वादी द्वारा जर्ये वाद पत्र ग्राम कौलाना के खाता सं. नया 242 पुराना 132 के खसरा नंबर 274 रकबा 0.10 है0, कुल किता कुल रकबा 0.10 है0 स्थित है मे वादी का 1/2 हिस्से का उक्त भूमि मुतदाविया का कब्जे के अनुसार तकारमा किया जाकर उक्त भूमि मुतदाविया मे वादी का अलग खाता एवं अलग पासबुक जारी किया जावे। प्रतिवाद संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम कौलाना के खाता संख्या नया 242 पुराना 132 के खसरा नंबर 274 रकबा 0.10 है0 कुल [illegible] रकबा 0.10 है0 स्थित है। उक्त भूमि का जब तक कब्जे अनुसार तकारमा नही हो जा[illegible] वादी हिस्से, कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की मजाहमत व [illegible] भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया [illegible] अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन, बय करने से स्वयं, घरवालो, नौकरो, एजेन्[illegible] मुतन्हा रहे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

—— उत्तरार्द्ध

उक्त वाद पत्रावली दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम कौलाना तहसील बसवा मे आयोजित कैम्प मे पेश हुई। जिसमे वादिया वाद को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को वास्ते कुर्रेजात तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 24.01.2022 को न्यायालय हाजा मे विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जो कि निम्नानुसार है:—

हाल जमाबंदी मे दर्ज खातेदारी					कुर्रेजात के अनुसार खातेदार का विवरण				
क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा	किस्म	क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
1. खाता संख्या 242	वीना देवी पत्नी रामदयाल हि0 1/2 मूलचंद पुत्र भौरया हि0 1/2 जाति मीना सा0 देह खातेदार	274	0.10	बारानी 1	1.	मूलचंद पुत्र भौरया जाति मीना सा0 देह खातेदार	274/1	0.05	बारानी 1
					2.	वीना देवी पत्नी रामदयाल जाति मीना सा0 देह खातेदार	274/2	0.05	बारानी 1

हमने बहस कुर्रेजात सुनी। कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा स्मा स्वीकार किया जाता है प्राप्त कुर्रेजात उक्त आदेश का पार्ट रहेगा तहसीलदार बसवा नियमानुसार स्व रिकार्ड के अमल दरामद करे तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय । दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(नीरज कुमार मीना)
आरएएस
उपखंड अधिकारी
बांदीकुई जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner